

संख्या २२१०/३३-३-५०३-१/२००८

प्रेषक समोज राजस्थान
प्रमुख राजस्थान
पंचायती राजस्थान
उपराज्याधिकारी।

सेवा मेरा समर्पण
समर्पण जिलाधिकारी
रु०५०।

पंचायती राजस्थान-३

संशोधन दिनांक 26 फरवरी 2012

लेख- नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के अन्तर्गत गटर सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस०एस०ड०जी०) योजना मे हलेक्ट्रॉनिक फार्म (ई-फार्म) द्वारा जन सामान्य को उपलब्ध कराई जाने वाली विधिन शासकीय सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों (फॉर्म सर्विस सेन्टर) /लोकवाणी केन्द्रों /जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध मे।

महोदय-

उद्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2815/३३-३-२०१०-१/०८, दिनांक 23 फरवरी, 2011, शासनादेश संख्या-1242/३३-३-२०१२-१/०८, दिनांक 28 मई, 2012 एवं शासनादेश संख्या-1303/३३-३-२०१२-१/०८, दिनांक 18 जून, 2012 के क्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के अन्तर्गत स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस०एस०ड०जी०) योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण अंचलों मे स्थापित जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/जन सुविधा केन्द्रों के माध्यम से पंचायती राज विभाग की दो सेवाओं 'ग्रामीण क्षेत्र मे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र' के लिए आवेदन एवं 'कुटुम्ब रजिस्टर' की प्रतिलिपि के लिए आवेदन को इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम से उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध मे निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित की जाती है :-

1. जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करना (ग्रामीण क्षेत्र मे)

क. जन्म प्रमाण पत्र (मूल प्रति एवं दुप्लीकेट प्रति) निर्गत किया जाना।

ख. मृत्यु प्रमाण पत्र (मूल प्रति एवं दुप्लीकेट प्रति) निर्गत किया जाना।

2. उक्त प्रमाण पत्रों के निर्गत कराने के लिए निम्नलिखित व्यवस्था के माध्यम से आवेदन कराना अनिवार्य होगा :-

क. आवेदक को अपने निकटतम कामन सर्विस सेन्टर मे जाकर सेन्टर के आपरेटर को एक निर्धारित प्रारूप पर (जोकि आपरेटर के पास उपलब्ध रहेगा) उक्त सेवाओं के लिए अनुरोध करना होगा।

ख. आवेदक को अपने पहचान से सम्बन्धित एवं ग्राम पंचायत सचिव (ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी) द्वारा प्रदत्त जन्म-मृत्यु पंजीकरण सूचना प्रस्तुत करना होगा।

ग. कामन सर्विस सेन्टर के आपरेटर द्वारा सभी आवश्यक विवरण आवेदक से प्राप्त करने के उपरान्त आवेदन से सम्बन्धित ई-फार्म मे भरा जायेगा।

घ. आवेदक द्वारा प्रदत्त अभिलेखों को कामन सर्विस सेन्टर के आपरेटर द्वारा स्कैन किया जायेगा।

ङ. फार्म मे सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करने के उपरान्त आपरेटर द्वारा आवेदक को पुष्टि के लिए प्राप्त कराया जायेगा।

च. आवेदक द्वारा फार्म मे उल्लिखित सभी प्रविष्टियों को ढीक कर उसकी पुष्टि की जायेगी तथा फार्म की प्रविष्टियां सही पायी जाने पर आवेदक अपने हस्ताक्षर करेगा या अंगूठे का निशान लगाया जायेगा। केन्द्र के आपरेटर द्वारा आवेदक को कम्प्यूटर जनरेटर एक पादती रसीद

3. कुटुम्ब रजिस्टर की कॉर्पी के लिए आवेदन का निरसारण

- क. सम्बन्धित आवेदक वो अपने निकटाम कॉर्पी के सम्बर/लोकवाणी केन्द्र के जावर छान्दे के औपरेटर को एक निर्धारित प्राप्ति पर (जो कि आपरेटर वो पास उपलब्ध रहेगा) सेवा हतु अनुराग बरना होगा।
- ख. अभ्यर्थी वो अपने परिवार से सम्बन्धित प्राप्ति पर छोड़ के आपरेटर वे समेत प्रस्तुत करना होगा। छैन्डे के आपरेटर हारा शभी आवश्यक विवरण अभ्यर्थी से प्राप्त करने में उपरान्त सेवा से सम्बन्धित हृ-फार्म में भरा जाएगा।
- ग. फार्म में शभी एविएटियो को पूर्ण रूपाने के उपरान्त छैन्डे के आपरेटर हारा आवेदक को उपरान्त छिन्न आउट पुर्हि वो लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- घ. अभ्यर्थी हारा फार्म में उत्तिनवित शभी एविएटियो के चर गर लैंगिक परिवर्ती वार्म पर एविएटियो शही दाये जाने पर आवेदक उपरान्त उपरान्त बरगा को अपने अधिक का निवास उपरान्त बनाए जाएगा। इन्हे के आपरेटर हारा आवेदक का कम्प्यूटर उनारट एक जायी दीट उपरान्त उनारट जिस पर एक खूनिक नम्बर अकित हागा तथा निराका उपरान्त आवेदक हारा भवेष के रैदमे के लिए किया जायेगा। उपलब्ध कराया जायेगा।
- इ. कामन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्रो हारा सेवा हतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदक हारा दी गयी दूदनाओं को हृ-फार्म एफ्लीकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रानिक विधि से हृ-फार्म पोर्टल सार्कटवेयर का प्रयोग करते हुये सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी(पंचायत)को प्रेषित किया जायेगा।
- ज. सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) हारा हृ-फार्म एफ्लीकेशन पोर्टल में अपना एकाउन्ट नित्य लाग ऑन किया जायेगा तथा आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट लेकर आवश्यक कार्यवाही हतु सचिव, ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके उपरान्त सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत कुटुम्ब रजिस्टर की भौतिक प्रति सहायक विकास अधिकारी(प०) को उपलब्ध करायेगा। तत्पश्चात् सहायक विकास अधिकारी(प०) परिवार रजिस्टर इलेक्ट्रानिक फार्म पर भौतिक प्रति के आधार पर फीड करेगा, तथा उसे डिजीटली हस्ताक्षर करेगा। इलेक्ट्रानिक माध्यम से सम्बन्धित जनसेवा केन्द्र को प्रेषित करेगा।
- क्ष. सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) आवेदक हारा विद्ये गये आवेदन पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिये गये निर्णय (स्वीकृत, अथवा अस्वीकृत की स्थिति स्पष्ट करण अकित करते हुए) को पोर्टल पर सम्बन्धित आवेदन के सापेक्ष अपडेट करेंगे ताकि आवेदक अपने आवेदन की स्थिति पोर्टल के माध्यम से किसी भी कॉमन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्र से ज्ञात कर सकें।
- क्ष. तदोपरान्त आवेदक कुटुम्ब रजिस्टर की कॉर्पी को जनसेवा केन्द्र से प्राप्त कर सकेगा।
- क्ष. कुटुम्ब रजिस्टर की कॉर्पी प्राप्त करने हतु आवेदक हारा उ०प्र०० पंचायत राज (कुटुम्ब रजिस्टरो का अनुरक्षण) नियमावली, 1970 के नियम-७ रजिस्टर की अभिरक्षा तथा संरक्षण के उपनियम-२ के क्रम में उ०प्र०० संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम के अन्तर्गत निर्मित नियम-७३ (२) के अनुसार ५ पृष्ठों तक की प्रति हतु रूपया पांच और प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए रूपया एक की दर से जनसेवा केन्द्र के अधिकृत प्रतिनिधि को धनराशि का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक कुटुम्ब रजिस्टर की प्रतिलिपि हतु दिये गये प्रार्थना पत्र के साथ अभ्यर्थी को ५ रुपये प्रिन्टआउट इत्यादि पर आने वाले व्यय भार के रूप में जनसेवाकेन्द्र के अधिकृत प्रतिनिधि को भुगतान किया जायेगा।

आवेदक हारा कुटुम्ब रजिस्टर की प्रति हतु दी गई उक्त फीस व प्रिन्टआउट इत्यादि पर आने वाले व्यय भार जनसेवा केन्द्र के अधिकृत प्रतिनिधि हारा मूल प्रार्थना पत्रों व अन्य संलग्नकों के साथ प्रत्येक १५ दिन के उपरान्त संवधित सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को

एडमोलजनेट लिस घर रक्षा यूनिक सम्बन्ध अंकित होगा तथा जिसका उपयोग आवेदक द्वारा भवित्व के संदर्भ के लिए किया जाएगा उपलब्ध रहता जायेगा।

४. तदोपरान्त यामन सर्विंग सेंटर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक, प्रायाती माध्यम से निस्तारण हेतु आवश्यकतानुसार साथग प्राधिकारी को प्रेषित किया जायेगा। याम पंचायत वं लिए सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) इस हेतु साथग प्राधिकारी होग, जिन्हें माध्यम खं प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करया जायेगा।
५. ई-पार्टी एप्लीकेशन पोर्टल में उपने एकाउन्ट को सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा भित्ति लाग औन किया जायेगा तथा आवेदन पत्र का नियमण हेतु सहित याम पंचायत (याम पंचायत अधिकारी/याम विकास अधिकारी) को जीवं उं लिए भवत जायेगा।
६. उपर्युक्तों को याम संलग्नकों की दैवता/प्रगति आदि वं याम वं लिए याम पंचायत वं एवं सम्बन्धित याम पंचायत के सहित (याम पंचायत अधिकारी, याम विकास अधिकारी, याम अधिकारी हों जो याम प्रार्थना पत्रों से सम्बन्धित जीवं आउग सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रस्तुत करेगे।
७. जन्म रजिस्ट्रीकरण नाम के बिना रजिस्ट्रीकृत किया गया हो, वहाँ ऐसे बालक वं भाता-पिता या संरक्षक के बालक के नाम रजिस्ट्रीकरण को जन्म के बारह माह के पश्चात किन्तु पन्द्रह वर्ष के भीतर कराने के आवेदन के साथ प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2002 के नियम 10 के अनुसार 5 रुपये का विलन्व शुल्क देना होगा।
८. जन्म प्रमाण पत्र/मृत्यु प्रमाण पत्र के प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ अन्यर्थी को 5 रुपये प्रिन्टआउट इत्यादि पर आने वाले व्यय भार के रूप में जनसेवाकेन्द्र के अधिकृत प्रतिनिधि को भुगतान किया जायेगा।
९. सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) आवेदक द्वारा किये गये आवेदन पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लिये गये निर्णय (स्वीकृत अथवा अस्वीकृत की स्थिति स्पष्ट बतारण अंकित करते हुए) को ई-फार्म पोर्टल पर संबंधित आवेदन के सापेक्ष अपडेट करेंगे ताकि आवेदक अपने आवेदन की स्थिति पोर्टल के माध्यम से किसी भी कॉमन सर्विस सेन्टर/लांकवाणी केन्द्र से जात कर सके।
१०. प्राप्त जांच आख्याये सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा अपनी अनिवार्य में अभिलेखार्थ सुरक्षित रखे जायेंगे।
११. सहायक विकास अधिकारी(पंचायत) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र पर डिजिटल हस्ताक्षर कर सम्बन्धित जनसेवा केन्द्र को प्रेषित किया जायेगा।
१२. तदोपरान्त आवेदक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जनसेवा केन्द्रों से प्राप्त कर सकेगा।

उपरोक्त प्रक्रिया के द्वारा मात्र प्रक्रिया को पारदर्शी बनाते हुए उसका सरलीकरण किया गया है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु शर्तें एवं अन्य नियम पूर्ववत रहेंगे। इन नियमों का अनुपालन कड़ाई से किया जाये ताकि आम नागरिक को कॉमन सर्विस सेन्टर से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र समय से प्राप्त हो सकें तथा पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी हनाने के साथ-साथ सुगत य सरल बनाया जा सके। आवेदक द्वारा जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र आदि हेतु वी गई उक्त फीस य व्यय भार जनसेवा केन्द्र के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मूल प्रार्थना पत्रों द अन्य संलग्नकों के साथ प्रत्येक 15 दिन के उपरान्त संबंधित सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को उपलब्ध कराया जायेगा, जो इसमें से प्रिन्टआउट इत्यादि पर आने वाले व्यय भार 'को छोड़कर फीस/शुल्क सम्बन्धित संचित के माध्यम से संबंधित याम पंचायत के याम निधि-१ मे जमा कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उपलब्ध कराया जायेगा जो इसमें से व्यष्ट भार को ठोकार शिष पीस त शुल्क सम्बन्धित सचिव के माध्यम से संदर्भित याम प्रदायत ये याम निपि-1 में जाम कराया जाना सुनिश्चित करेगे।

4. उपर्युक्त सेवाओं को प्रदान करने वे निये आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम् एक महीने की अवधि नियांसित की जाती है।
5. उपर्युक्त सेवाओं के आवेदन की मूलप्रति संलग्नको सहित जन सेवा केन्द्र द्वारा सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी(पं०) को आवेदन के 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका सहायक विकास अधिकारी (पं०) द्वारा अभिलेखार्थ रखा-रखाय किया जायेगा।

जामया उपर्युक्त आवेदनी इन राहाई से अनुभावन सुनिश्चित उपर्युक्त जन सेवा केन्द्र

भद्रीय,

(मनोज द्वारा)
प्रमुख विद्युत।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रोनिक्स विभाग, उ०प्र०शासन।
2. निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०।
3. प्रबन्ध निदेशक, यूर्पीडेस्को एवं राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ०प्र०, लड्डूक।
4. श्री एस०यी०सिंह, उपमहानिदेशक एवं एस०आई०ओ०, एनआईसी, योजना भवन, लड्डूक।
5. वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2।
6. समस्त भण्डलीय उपनिदेशक(पं०), उ०प्र०।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र०।
8. मेसन्स इन्फ्रारेट्रोव्यर लीजिंग एण्ड फाइनेन्स सर्विसेज लिं(आई.एल.एफ.एस.लिं) लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जैनेश कुमार)
विशेष सचिव।